न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 24 / 2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
उत्तर पश्चित रेल्वे, अजमेर मण्डल

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. Sh. Ramashanker Singh S/o Sh. Bhikam Singh-Manager, Doons Caterers, Pantry car, Train no. 16531 (AII-YPR-Garb Nawaj Express), M/s Doons Caterers 5198, Basant Road, Paharganj, New Delhi-110055 (स्थाई पता–Bhed ki Jame, Post-Tehanugor, Dist-Bhind, (MP)-477333)
.......खाद्य कारोबार कर्ता / मैनेजर / नॉमिनी

2. M/s Doons Caterers 5198, Basant Road, Paharganj, New Delhi-110055
.......मैसर्स / लाईसेन्सी

3. Sh. Shushil Tandon S/o Sh. SK Tandon-Properitor
M/s Doons Caterers 5198, Basant Road, Paharganj, New Delhi-110055 (स्थाई पता–R/o-C-40, Nehru Colony, Dehradun (Uttarakhand)-248001
.......मैसर्स / प्रोपराईटर

4. M/s Padmavathi Caterers, No. 2/3-1, Old no. 754/1, 2nd Cross Anajaneya Temple street, Yashwantpur, Bengaluru Karnataka-560022
(Another Address- Padmavathi Caterers, Bengaluru
No. 520, Pipeline, A-cross, A-T Street, Yeshwanthpura, Bengaluru-560022
.......फर्म / वितरक

5. Sh. Naparam s/o Sh. Nimbaram Properitor M/s Padmavathi Caterers No. 2/3-1, Old no. 754/1, 2nd Cross Anajaneya Temple street, Yashwantpur, Bengaluru Karnataka-560022
(Another Address- Padmavathi Caterers, Bengaluru
No. 520, Pipeline, A-cross, A-T Street, Yeshwanthpura, Bengaluru-560022
.......प्रोपराईटर / वितरक

6. Sh. Suresh B.S., Deputy Manager (DT) Pet Bottle Plant
M/s Hassan co-operative milk producers socities union Limited (HCMPS Ltd.) BM road Hassan (Karnataka)-573201
.......नोमिनी / निर्माता

7. M/s Hassan co-operative milk producers socities union Limited (HCMPS Ltd.) BM road Hassan (Karnataka)-573201
.......फर्म / निर्माता

........*अप्रार्थीगण*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थी संख्या 1 से 5 स्वयं।

-: आदेश :-

दिनांक–27.11.2024

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन, अजमेर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने सब स्टैण्डर्ड UHT-toned flavoured milk-Badam, Nandini, GoodLife, B no. R-44 (200ML originaly sealed and packed by the company in a pet bottle) का उपयोग कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जाँच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 12.06.2023 को 07.45 खाद्य सुरक्षा अधिकारी Pantry car no. 202936, Train no. 16531 (AII-YPR-Garibnawaj Express M/s Doons Caterers, between section Ajmer to Aburoad) पर पहुँचे। श्री रमाशंकर सिंह पुत्र श्री भीकम सिंह मौके पर उपस्थित मिले जो यात्रियों को खाद्य पदार्थ विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान उनमें से UHT-toned flavoured milk-Badam, Nandini, GoodLife, B no. R-44 (200ML originaly sealed and packed by the company in a pet bottle) में मिलावट का शक होने पर उसमे से Quantity-200 ml X 03 X 04 = 2400 ml originaly sealed and packed by the company in 12 pet bottle (प्रत्येक सील्ड–पैक्ड पेट बोतल खाद्य पदार्थ मात्रा 200एमएल) वास्ते नमूना जाँच हेतु 360/– रूपये श्री नरेन्द्र खटवानी पुत्र श्री सुन्दरदास को नगद देकर गवाह श्री मनोज सिंह पुत्र श्री मांगीलाल, सामान्य सहायक, अधीनस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अजमेर के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री रमाशंकर सिंह को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा UHT-toned flavoured milk-Badam, Nandini, GoodLife, B no. R-44 (200ML originaly sealed and packed by the company in a pet bottle) Quantity-200 ml X 03 X 04 = 2400 ml originaly sealed and packed by the company in 12 pet bottle (प्रत्येक सील्ड–पैक्ड पेट बोतल खाद्य पदार्थ मात्रा 200एमएल) को बराबर–बराबर भाग में विभक्त कर चार नमूना भाग बनाकर (प्रत्येक नमूना भाग सील्ड–पैक्ड 03 पेट बोतल खाद्य पदार्थ मात्रा 600एमएल) व प्रत्येक भाग को खाली, साफ व सूखे मोटे ब्राउन पेपर में एयर टाईड बंद कर व लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक NWR/1091 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 8 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने में से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6

न्याय निर्णायक अधिकारी ... सत्यमेव जयते ... अजमेर

य निर्णायन अधिकारी एव
... अजमेर

की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी, उ0प0 रेल्वे, जयपुर के पत्र क्रमांक मेड/एच/605/एफएसएसए/लेब रिपोर्टस/एनडब्ल्यूआर–1091 दिनांक 03.07.2023 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. एलएस./860/एक्ट/2023/894 दिनांक 22.06.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जाँच उपयोग में लिया गया UHT-toned flavoured milk-Badam, Nandini, GoodLife, B no. R-44 (200ML originaly sealed and packed by the company in a pet bottle) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 10.06.2024 को प्रस्तुत हुआ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 10.06.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री नरेन्द्र खटवानी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

नियत पेशी दिनांक 27.11.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 से 5 स्वयं उपस्थित हुये तथा जवाब नोटिस पेश किया। उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा उत्पादक/वितरक फर्म से खरीद करने के उपरान्त दुकानदारों व लोकल वेन्डरों को पहुंचाया या पुनः बिक्री की जाती है। उत्पाद के दोष के सम्बन्ध में उनका कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी फर्म द्वारा अब उक्त उत्पाद खरीदना बन्द कर दिया है एवं उच्च गुणवत्तायुक्त पदार्थ क्रय कर विक्रय किया जा रहा है। उक्त बिन्दुओं/तथ्यों के मध्यनजर उन्हे क्षमा कर प्रकरण को ड्रॉप किया जाये। चूंकि परिवाद में अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर लिखित में जवाब प्रस्तुत किया एवं प्रकरण के निस्तारण हेतु निवेदन किया। अभियुक्त के निवेदन किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद में वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नही समझा गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजों खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जाँच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया UHT-toned flavoured milk-Badam, Nandini, GoodLife, B no. R-44 (200ML originaly sealed and packed by the company in a pet bottle) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया, जिसके लिए अभियुक्तगण दोषी प्रतीत होते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के तहत अवमानक पदार्थ उत्पादन व बेचने के दोषी है। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अप्रार्थी द्वारा विक्रय किया जा रहा UHT-toned flavoured milk-Badam, Nandini, GoodLife, B no. R-44 (200ML originaly sealed and packed by the company in a pet bottle) निर्धारित मूल्यों के अनुरूप नहीं होना पाया गया है। ऐसे उत्पाद आम जनता/उपभोक्ता के स्वास्थ्य के साथ स्पष्ट रूप से खिलवाड़ है। उपभोक्ता कोई भी उत्पाद विश्वास के साथ क्रय करता है, विक्रेता का इस प्रकार का कृत्य उपभोक्ता के विश्वास को भी परोक्ष रूप से आघात पहुँचाता है एवं विक्रेता/फर्म का ऐसा कृत्य अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन कर समाज में एक सकारात्मक संदेश प्रसारित करने के दृष्टिगत

न्याय निर्णायक अधिकारी, अजमेर — सत्यमेव जयते

न्याय निर्णायन अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्र०), अजमेर

अप्रार्थी को इस चेतावनी के साथ हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे। चूंकि अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे। इस आशय का शपथ–पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थीगण को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी संख्या 6 व 7 उक्त उत्पाद के मुख्य रूप से निर्माणकर्ता हैं एवं इनके द्वारा सम्पूर्ण देश में उक्त निर्मित उत्पाद की आपूर्ति की जाती होगी। अप्रार्थी संख्या 6 से 7 को इस न्यायालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये थे किन्तु वे सूचना के उपरान्त भी अनुपस्थित रहे हैं। साथ ही इनके द्वारा निर्मित उत्पाद सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध अधिकतम शास्ति आरोपित किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 से 3 को रु 50000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र), अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 4 से 5 को रु 50000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र) एवं अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 6 से 7 को रु 500000/– (अक्षरे पांच लाख रूपये मात्र) कुल राशि रूपये 600000/– (अक्षरे छः लाख रूपये मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 27.11.2024 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्र.), अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2024/3335-51 दिनांक : 28.11.24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2– संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, अजमेर
3– अभिहित अधिकारी, उ0प0 रेल्वे, अजमेर।
4– Sh. Ramashanker Singh S/o Sh. Bhikam Singh
5– Sh. Shushil Tandon S/o Sh. SK Tandon
6– Sh. Naparam s/o Sh. Nimbaram
7– Sh. Suresh B.S., Deputy Manager (DT) Pet Bottle Plant M/s Hassan co-operative milk producers socities union Limited (HCMPS Ltd.) BM road Hassan (Karnataka)-573201

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्र.) अजमेर